भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3429

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण

†3429. श्री अभिमन्यु सेठीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य पथ विक्रेताओं और स्थानीय रेस्तरां के खाद्य सुरक्षा मानकों का आकलन करने के लिए हाल ही में कोई राष्ट्रव्यापी या राज्य स्तरीय सर्वेक्षण कराया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) पथ विक्रेताओं और छोटे भोजनालयों द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं;
(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता मानदंडों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का ईट राइट इंडिया जैसी योजनाओं के अंतर्गत स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए खाद्य पथ विक्रेताओं के लिए जागरूकता अभियान या प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से किफायती, स्वच्छ और पोषण की दृष्टि से सुरक्षित भोजन को बढ़ावा देने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिदेश प्राप्त है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 31 (1) और 31 (2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंस/पंजीकरण, जो भी लागू हो, के बिना कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू या संचालित नहीं करेगा। इसलिए, सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्धारित मानकों तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। प्रत्येक एफबीओ को खाद्य व्यवसाय के प्रकार और पैमाने के आधार पर उपर्युक्त विनियमन के तहत निर्धारित अनुसूची 4 की स्वच्छता और साफ -सफाई की आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकताओं का पालन करना होगा। उपर्युक्त विनियमन का उप-विनियमन 2.1.1.(6) पंजीकृत प्राधिकारी या किसी अधिकारी या एजेंसी द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए वर्ष में एक बार अधिकृत पंजीकृत छोटे-मोटे खाद्य विनिर्माताओं का खाद्य सुरक्षा निरीक्षण करने का अधिदेश प्राप्त है।

पिछले तीन वर्षों में किए गए निरीक्षणों का विवरण नीचे दिया गया है तथा राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है ।

इसके अलावा, एफएसएसएआई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच हेतु खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना -चयन करता है। यदि खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): स्ट्रीट फूड विक्रेताओं सहित खाद्य संचालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित खाद्य परिपाटियों को बढ़ावा देने के लिए, एफएसएसएआई ने 2017 में खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टेक) कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों, चाहे वे खाद्य व्यवसाय संचालक हों या कर्मचारी, को खाद्य सुरक्षा और मानकों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। फोस्टेक के अंतर्गत, "स्ट्रीट फूड वेंडिंग" नामक एक विशेष जागरूकता पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। अब तक, देश भर में 3 लाख से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

एफएसएसएआई सभी नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी पहल "ईट राइट इंडिया मूवमेंट" चला रहा है। यह देश के खाद्य पारितंत्र को बदलने का एक सामूहिक प्रयास है। इस पहल के तहत, भोजन तैयार करने या परोसने वाले स्थानों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

एफएसएसएआई ने फूड स्ट्रीट्स पर लोगों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने के लिए "ईट राइट स्ट्रीट फूड हब" प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक समूह आधारित पहल है, जहाँ खाद्य विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए शिक्षित किया जाता है। सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण

(आईईसी) सामग्री प्रदर्शित की जाती है, जिससे दृश्यता बढ़ती है, उपभोक्ता विश्वास बढ़ता है और सभी को सुरक्षित और स्वास्थ्यकारी भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ईट राइट इंडिया के तहत 405 ईट राइट स्ट्रीट फूड हब प्रमाणित हैं।

इसके अलावा, दूरदराज के इलाकों में खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जाँच और खाद्य सुरक्षा संबंधी सूचना के प्रसार हेतु, एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एमएफटीएल) शुरू की हैं। एमएफटीएल के तीन प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:-

i. खाद्य वस्तुओं की ऑन-स्पॉट जांच करना ;
ii. खाद्य व्यवसाय संचालकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और
iii. खाद्य व्यापार संचालकों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, आम जनता, स्कूल, संस्थानों, संगठनों आदि के बीच खाद्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करना । एफएसएसएआई ने अब तक भारत भर में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 305 एमएफटीएल तैनात किए हैं।

****

अनुलग्नक - I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वर्षवार किए गए कुल निरीक्षण

राज्य	वित्त वर्ष 2022-23	2023-24	2024-25
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1454	796	515
आंध्र प्रदेश	534	611	443
अरुणाचल प्रदेश	7	2	4
असम	4	255	28
बिहार	1	14	0
चंडीगढ़	14	0	0
छत्तीसगढ	350	545	963
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	214	51	19
दिल्ली	24	41	30
गोवा	1204	1273	1462
गुजरात	643	852	1535
हरियाणा	470	341	33
हिमाचल प्रदेश	587	173	155
जम्मू और कश्मीर	5396	3023	2703
झारखंड	46	49	201
कर्नाटक	1602	3591	6367
केरल	4802	10229	12105
लद्दाख	119	72	219
लक्षद्वीप	0	3	16
मध्य प्रदेश	1534	2711	3941
महाराष्ट्र	1841	1436	1071
मणिपुर	113	70	84
मेघालय	4	54	199
मिजोरम	0	0	35
नागालैंड	18	18	18
उड़ीसा	1212	1460	968
पुद्दूचेरी	0	0	0
पंजाब	262	159	148
राजस्थान	107	1023	2259
सिक्किम	142	110	0
तमिलनाडु	5409	3742	3053
तेलंगाना	329	227	54
त्रिपुरा	1	70	68
उत्तराखंड	559	294	373
उत्तरप्रदेश	9605	8483	12909
पश्चिम बंगाल	725	998	716

*****